एक नजर में

दूसरों के आंसू पोंछने से बड़ी और कोई सेवा नहीं

इंदौर. सेवा के कई स्वरूप होते हैं, लेकिन दूसरों के दुख दूर करने और उनके आंसू पोंछने से बड़ी और कोई सेवा नहीं हो सकती. भगवान बुद्धि से नहीं भक्ति से मिलेंगे. बुद्धि तर्क करती है और भक्ति विश्वास. श्रद्धा और विश्वास के बिना की गई भक्ति और सेवा निरर्थक ही होती है. सेवा निष्काम होना चाहिए। भगवान जैसे धर्मग्रंथ हमें भक्ति और सेवा के मार्ग पर अग्रसर करते हैं. श्रीधाम वृंदावन के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी भास्करानंद ने सोमवार को गीता भवन सत्संग सभागृह में मंगल परिवार की मेजबानी में पुरुषोत्तम मास के उपलक्ष्य में मातृश्री श्रीमती कमलादेवी-बाबूलाल मंगल की पुण्य स्मृति में आयोजित श्रीमद भागवत ज्ञान यज्ञ के दूसरे दिन उक्त प्रेरक बातें कहीं. कथा शुभारंभ के पहले व्यासपीठ का पूजन आयोजन समिति की ओर से समाजसेवी प्रेमचंद गोयल, टीकमचंद गर्ग, विष्णु बिंदल, शैलेन्द्र गुप्ता, विजय-कृष्णा गोयल आदि ने किया. कथा श्रवण के लिए आज भी गीता भवन में श्रद्धालुओं का सैलाब बना रहा. कथा 30 मई तक प्रतिदिन दोपहर 3.30 से शाम 7 बजे तक होगी.

समाज को चरित्र पूजन का अनुकरण करना चाहिए

इंदौर. सत्य कभी छुपता नहीं, सत्य कभी नष्ट नहीं होता और सत्य कभी पराजित भी नहीं होता. राम का नाम ही सत्य है लेकिन राम की कथा भी परमसत्य है. आज समाज को चित्र नहीं, चरित्र पूजन का अनुकरण करना चाहिए. रामकथा भारत भूमि का ऐसा दस्तावेज है जिसकी सत्यता पर कोई संदेह नहीं हो सकता। ये विचार हैं श्रीधाम वृन्दावन के प्रख्यात कथाकार श्रीराम प्रपन्नाचार्य महाराज के, जो अन्नपूर्णा आश्रम हवा बंगला, कैट रोड स्थित हरिधाम आश्रम पर सोमवार शाम को राम कथा में राम जन्म प्रसंग की व्याख्या करते हुए व्यक्त किए. कथा में राम जन्म का प्रसंग सुनकर श्रोता आल्हादित हो उठे। ब्रज से आए भजन गायकों और संगीतज्ञों की मनोहारी प्रस्तुतियों पर नाचने-गाने का सिलसिला आज भी चलता रहा. प्रारंभ में महंत शुकदेवदास महाराज के सान्निध्य में डॉ. सुरेश चोपड़ा, ललित अग्रवाल, अरुण मिश्रा, विजय सिंह राणा, सुधीर अग्रवाल, ओमप्रकाश अग्रवाल, सीताराम नरेडी आदि ने व्यास पीठ का पूजन किया. अतिथियों का स्वागत संजय अग्रवाल, गुमान सिंह ठाकुर, मांगीलाल ठाकुर, संतोष सिंह एवं सौरभ पाटील ने किया. आश्रम पर यज्ञशाला पर ललित पाठक के निर्देशन में 51 विद्वानों ने आश्रम परिसर में निर्मित यज्ञशाला में चल रहे हनुमत महायज्ञ में अब तक यहाँ 4 लाख 80 हजार आहुतियाँ समर्पित की जा चुकी हैं.

अग्रवाल अध्यक्ष, गोयल महामंत्री बने

इंदौर. श्री अन्नपूर्णा क्षेत्र अग्रवाल महासंघ के वर्ष 2026-28 के लिए निर्विरोध सम्पन्न हुए निर्वाचन में मनोज अग्रवाल (अन्नपूर्णा) अध्यक्ष, विष्णु गोयल महामंत्री, पिंकेश मोदी संयोजक, मनीष अग्रवाल कोषाध्यक्ष, प्रतीक गोयल उपाध्यक्ष, मुक्ति अग्रवाल महिला उपाध्यक्ष, धर्मेन्द्र गर्ग सहमंत्री, अभिषेक संथालिया प्रचार मंत्री चुने गए.

कार्यकारिणी में मनोज गुप्ता, दिनेश गर्ग, अजय अग्रवाल, दिनेश गर्ग विज्ञान नगर, अनिल अग्रवाल, सुमित अग्रवाल, गणेश अग्रवाल, प्रणय अग्रवाल, रिंकू अग्रवाल, रेखा अग्रवाल, दीपिका पोद्दार एवं नीतू अग्रवाल मनोनीत किए गए. महेश गोयल प्रमुख मार्गदर्शक, राजेन्द्र गर्ग प्रमुख परामर्शदाता तथा सलाहकार मंडल में ओमप्रकाश अग्रवाल, शांतिलाल अग्रवाल, उमेश अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, शिव जिंदल, मुकेश ब्रजवासी, सजन अग्रवाल, महेश अग्रवाल, विनोद गोयल एवं अनिता ऐरन चुने गए. महासंघ के संरक्षक किशोर गोयल, संस्थापक ओमप्रकाश अग्रवाल, रमेश गोयल, वरिष्ठ समाजसेवी विनोद अग्रवाल, प्रेमचंद गोयल, टीकमचंद गर्ग, विष्णु बिंदल, पवन सिंघानिया, अविनाश ओएस्टर, संजय बांकड़ा, राम ऐरन, गणेश गोयल, संतोष गोयल, अरविंद बागड़ी, गोविन्द सिंघल, कुलभूषण मित्तल, प्रयोग गर्ग सहित समाज के 50 से अधिक संगठनों ने नए पदाधिकारियों को बधाई देते हुए शुभकामनाएँ व्यक्त की हैं.

अग्रवाल धर्मशाला पर आज से भागवत ज्ञान यज्ञ

इंदौर. श्री मालवा मील अग्रवाल पंचायत की मेजबानी में 26 मई से 1 जून तक मालवा मील चौराहा स्थित अग्रवाल धर्मशाला, वाय एन रोड पर राजस्थान के प्रख्यात भागवताचार्य पं. सतीशचन्द्र शर्मा के श्रीमुख से प्रतिदिन दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक भागवत कथामृत की वर्षा होगी. पंचायत के अध्यक्ष गोविन्द गर्ग भमोरी, मंत्री सुशील अग्रवाल एवं कथा संयोजक राजेश अग्रवाल, अर्पण गर्ग एवं उमेश मंगल ने बताया कि पुरुषोत्तम मास के उपलक्ष्य में इस ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है. महोत्सव में पहले दिन शोभा यात्रा के पश्चात भागवत स्थापना एवं गोकर्ण महिमा सुनाई जाएगी 1 जून को सुदामा चरित्र की कथा के साथ भागवत महापूजन एवं यज्ञ हवन के बीच शुकदेवजी की बिदाई के साथ समापन होगा.

संत सुरक्षा को लेकर जैन समाज का मौन जुलूस, सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करने की मांग

▶ रीवा हादसे के विरोध में जैन समाज ने सौंपा ज्ञापन

इंदौर. रीवा में हुई दुर्घटना में आर्यिका श्रुतमति माताजी एवं आर्यिका उपशममति माताजी के समाधिमरण के बाद संतों की सुरक्षा को लेकर जैन समाज में गहरा आक्रोश है. इसी क्रम में दिगंबर जैन समाज सामाजिक संसद, किर्ति स्तंभ इंदौर के आह्वान पर सोमवार को राजवाड़ा से कलेक्टर कार्यालय तक मौन जुलूस निकाला गया. कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया गया.

जुलूस में श्वेतांबर एवं दिगंबर समाज सहित विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए. कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर एडीएम रोशन राय को प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया. सामाजिक संसद के निर्वाचित अध्यक्ष आनंद गोधा के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में संतों की सुरक्षा को लेकर पांच प्रमुख मांगें रखी गईं. प्रवीण जैन ने बताया कि ज्ञापन में रीवा दुर्घटना की उच्चस्तरीय जांच कराने संत सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करने, राष्ट्रीय संत सुरक्षा नीति बनाने, संतों पर होने वाले अपराधों को विशेष संवेदनशील श्रेणी में शामिल करने तथा संत सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेल गठित करने की मांग की गई है. जुलूस में करीब 130 मंदिरों के प्रतिनिधि, ब्रह्मचारी गण, महासमिति, तीर्थ क्षेत्र कमेटी, महावीर ट्रस्ट, श्री दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन सहित कई जैन एवं हिंदू संगठनों के पदाधिकारी एवं समाजजन शामिल रहे. इस दौरान निर्वाचित अध्यक्ष आनंद गोधा, कार्याध्यक्ष नवीन गोधा, महामंत्री हर्ष जैन विजय पाटोदी, भरत मोदी, एम.के. जैन, हसमुख गांधी, रेखा संजय जैन, टी.के. वेद, प्रिंसपाल टोंग्या कान्तीलाल बम, मनोहर झांझरी, डी.के. जैन (डीएसपी), सचिन जैन उद्योगपति, स्वप्निल कोठारी, राकेश विनायका, आनंद कासलीवाल, श्रेष्ठी जैन, सारिका जैन, साधना दगड़े, रेखा जैन, अक्षय बम एवं प्रदीप चौधरी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे.

दुर्घटना प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच की मांग

निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर समग्र जैन समाज ने मौन रैली निकालकर कलेक्टकर को ज्ञापन दिया. ज्ञापन में भारत सरकार से राष्ट्रीय संत सुरक्षा नीति बनाने, संतों के विरुद्ध अपराधों को विशेष संवेदनशील श्रेणी में रखने तथा स्थानीय स्तर पर संत सुरक्षा समन्वय सेल गठित करने की मांग की गई. दिगंबर जैन समाज सामाजिक संसद के अध्यक्ष विनय बाकलीवाल एवं प्रचार प्रमुख सतीश जैन ने ज्ञापन में घटना को अत्यंत गंभीर बताते हुए कहा कि घटना को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता. उपलब्ध तथ्यों एवं वीडियो क्लिपों के आधार पर समाज में गहरी चिंता का वातावरण बना हुआ है. हम चाहते हैं कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो और संतों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए. दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए. घटना की उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए. ज्ञापन का वाचन समाज के अध्यक्ष विनय बाकलीवाल ने किया. ज्ञापन एसडीएम अजय भूषण शुक्ला को दिया गया. समाज के महामंत्री देवेंद्र सोगानी ने दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की.

ओंकारेश्वर में श्रद्धालुओं को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा

खंडवा. देश के प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग तीर्थ ओंकारेश्वर में श्रद्धालुओं के साथ हुई मारपीट की घटना ने आस्था और व्यवस्था दोनों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. मंदिर परिसर के पास श्रद्धालुओं को लाठी-डंडों से बेरहमी से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया और मंदिर ट्रस्ट ने बड़ा एक्शन लेते हुए सुपरवाइजर सहित 6 कर्मचारियों को सेवा से पृथक कर दिया.

जानकारी के अनुसार हरियाणा से आए श्रद्धालुओं का एक दल ओंकारेश्वर दर्शन के लिए पहुंचा था. झूला पुल और मंदिर परिसर के पास लाइन और प्रवेश को लेकर कर्मचारियों से कहासुनी हो गई. मामूली विवाद कुछ ही मिनटों में हिंसक झड़प में बदल गया. आरोप है कि मंदिर के सुरक्षाकर्मियों और कर्मचारियों ने श्रद्धालुओं पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया. वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कर्मचारी निहत्थे श्रद्धालुओं को दौड़ा-दौड़ा कर पीट रहे हैं. महिलाएं और अन्य श्रद्धालु जान बचाकर भागते नजर आए. घटना के बाद मंदिर परिसर और आसपास अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

दूर-दराज से दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं में दहशत फैल गई. घटना ने प्रदेश की धार्मिक और पर्यटन छवि को भी ठेस पहुंचाई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुनासा एसडीएम पंकज वर्मा ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मंदिर ट्रस्ट के सुपरवाइजर दीपक मालाकार सहित कर्मचारी अंकित योगी, राहुल चौहान, महेंद्र सिंह चौहान, शुभम राजपूत और उमाशंकर सिसोदिया को सेवा से हटा दिया है. प्रशासन ने साफ किया है कि श्रद्धालुओं के साथ अभद्रता और हिंसा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी. आरोपियों पर एएफआईआर दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है.

नागरिकों ने ली पानी की एक-एक बूंद बचाने की शपथ

▶ श्रद्धा सुमन सेवा समिति द्वारा पंचकुइया राम मंदिर पर गंगा पूजन के आयोजन में पहुंचे अनेक महामंडलेश्वर एवं संत

इंदौर. श्रद्धा सुमन सेवा समिति द्वारा गंगा दशहरे के उपलक्ष्य में पंचकुइया स्थित प्राचीन गंगा बगीची पर गंगा पूजन कार्यक्रम का अनूठा आयोजन महामंडलेश्वर डॉ. स्वामी चेतन स्वरूप, महामंडलेश्वर महंत पवनदास महाराज एवं वरिष्ठ संत राजानंद महाराज के सानिध्य में सम्पन्न हुआ जिसमें पानी की एक-एक बूंद की बचत करने तथा नदियों, बावड़ियों और कुओं के जल को स्वच्छ रखकर पर्यावरण संवर्धन के लिए वर्षाकाल में अपने घर-आंगन में पौधे रोपने जैसे अभिनव संकल्प भी लिए गए.

श्रद्धा सुमन सेवा समिति के अध्यक्ष हरि अग्रवाल, राजेन्द्र सोनी एवं राजेन्द्र गर्ग ने बताया कि गंगा दशहरे के उपलक्ष्य में प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी गंगा पूजन तथा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण का यह कार्यक्रम पंचकुइया स्थित प्राचीन गंगा बगीची पर शहर के प्रमुख संत-विद्वानों के सानिध्य में आयोजित किया गया. प्रारंभ में सभी सदस्यों ने गंगा मैया का पूजन-अभिषेक किया. इस अवसर पर संतों ने समिति के सदस्यों और उपस्थित नागरिकों को पानी की महत्ता बताते हुए उन्हें संकल्प दिलाए. इस अवसर पर विभिन्न संगठनों की ओर से डॉ. चेतन सेठिया, विनय जैन, मुरली धामानी, महेंद्र विजयवर्गीय, सूरजसिंह राठोर, दीपक शर्मा, गोकुल पसारी, अशोक बंग, पुरुषोत्तम मेडतवाल, मोहनलाल वर्मा, त्रिलोकीनाथ गुप्ता, हरीश नागोरी, अरविन्द बामनिया, किशोर दोरकर, राजेश कायत, राजू पोरवाल, दिलीप साहू आदि ने गंगा जल से अभिषेक किया और महाआरती में भाग लिया, इस मौके पर मातृशक्ति की ओर से किरण ओझा, राजकुमारी मिश्रा, सीमा सेन, पुष्पा यादव, मंजू सोनी, चंदा तिवारी, साक्षी सेन आदि ने गंगा मैया के जयघोष के बीच पर्यावरण संरक्षण की शपथ ग्रहण की. संचालन हरि अग्रवाल ने किया और आभार माना मुरली धामानी ने.

महामंडलेश्वर पवनदास महाराज ने इस मौके पर पर्यावरण और प्रकृति का महत्व बताते हुए कहा कि पानी की एक-एक बूंद का संरक्षण जरुरी है. नदियों एवं अन्य प्राकृतिक जल स्त्रोतों को स्वच्छ रखना तथा वर्षाकाल में अपने आसपास उपयुक्त स्थान पर कम से कम एक-एक पौधा लगाना हमारा नैतिक दायित्व होना चाहिए. महामंडलेश्वर डॉ. स्वामी चेतन स्वरूप एवं अन्य संतों ने भी नदियों को निर्मल बनाए रखने का आव्हान किया।

नगर सैनिक ने युवक को घर में घुसकर पीटा

इंदौर. छत्रीपुरा थाना क्षेत्र के राज मोहल्ला में एक होमगार्ड सैनिक ने घर में घुसकर युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की. घटना के दो वीडियो सामने आए हैं, जिनमें उसकी मंगेतर भी मारपीट करती दिख रही है. पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

घटना रविवार शाम करीब 4.30 बजे की बताई जा रही है. पहले सामने आए वीडियो में कीचड़ से सनी वर्दी में नगर सैनिक दिखाई दिया, जिसके आसपास लोगों की भीड़ जमा थी. सोमवार को एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें होमगार्ड सैनिक अपनी मंगेतर के साथ युवक को झाड़ू और लातों से पीटते नजर आया. आरोपी नगर सैनिक प्रशांत श्रीवास अपनी मंगेतर साक्षी के साथ 12 खोली राज मोहल्ला स्थित एक घर में पहुंचा था. यहां पुराने विवाद को लेकर एक युवक राजेश से उसकी कहासुनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई. आरोप है कि प्रशांत ने युवक राजेश को पहले घर के अंदर पीटा और फिर घसीटते हुए बाहर ले आया, जहां डंडों और झाड़ू से मारपीट की गई. इस दौरान साक्षी ने भी पत्थर मारकर युवक को घायल कर दिया. मारपीट के दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और रहवासियों ने आरोपी को पकड़ लिया. झूमाझटकी में उसकी वर्दी कीचड़ में सनी दिखाई दी.

> **पुलिस के अनुसार मामला पुराने विवाद का है, जांच की जा रही**
>
> सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने हवा बंगला कुंदन नगर निवासी प्रशांत श्रीवास और उसकी मंगेतर साक्षी के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज किया है. वहीं, प्रशांत श्रीवास की शिकायत पर पुलिस ने यशोदा पथरोड और उसके देवर राजेश उर्फ सेठी के खिलाफ भी काउंटर केस दर्ज किया है. दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर आरोप लगाए हैं. पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में मामला पुराने विवाद का सामने आया है. फिलहाल दोनों पक्षों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच की जा रही है.

शिवालिक स्मॉल फायनेंस बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : शिवालिक स्माल फायनेंस बैंक लिमि. 501, सालकोन औरम, जसोला डिस्ट्रिक्ट सेंटर, न्यू दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, दिल्ली- 110025 व ब्रांच आफिस- शिवालिक स्मॉल फायनेंस बैंक लिमि., उज्जैन, मध्यप्रदेश

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए नीलामी सह बिक्री सूचनाओं के लिए सार्वजनिक सूचना

परिशिष्ट - IV - ए [नियम 8 (6) के लिए प्रावधान देखें]

सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के तहत अचल एसेट्स की बिक्री के लिए खुली नीलामी सेल नोटिस, सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स, 2002 के रूल 8 (6) के प्रोविज़ो के साथ पढ़ा जाए. इसके द्वारा आम जनता और खास तौर पर देनदारों और गारंटरों को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे बताई गई अचल प्रॉपर्टी, जो सिक्योर्ड क्रेडिटर के पास मॉर्गेज/चार्ज की गई है, जिसका फिजिकल पज़ेशन शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, सिक्योर्ड क्रेडिटर के प्राधिकृत अधिकारी ने ले लिया है, 10-06-2026 को 'जैसी है जहाँ है', 'जैसी है जो है' और 'जो कुछ भी है' के हिसाब से बेची जाएगी, ताकि **रु. 4,50,000/- (रुपये चार लाख पचास हजार मात्र) दिनांक 15-09-2025** तक प्लस ब्याज और शुल्क शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को देय, सुरक्षित लेनदार से **1. श्री दारा सिंह पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण (उधारकर्ता) निवासी गाँव भूखी इतावारपुर, तहसील तराना, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश, 456661, 2. श्रीमती पूजा पत्नी श्री दारा सिंह (सह-उधारकर्ता) निवासी गाँव भूखी इतावारपुर, तहसील तराना, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश, 456661, 3. श्री लक्ष्मी नारायण पुत्र श्री दयाराम (सह-उधारकर्ता/बंधककर्ता) निवासी गाँव भूखी इतावारपुर, तहसील तराना, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश, 456661, 4. श्रीमती नर्मदा बाई पत्नी श्री लक्ष्मी नारायण (सह-उधारकर्ता/बंधककर्ता) पता : गांव भूखी इतावरपुर, तहसील तराना, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश, 456661.**
रिज़र्व प्राइस **रुपये 10,85,600/- (सिर्फ़ दस लाख पिच्यासी हज़ार छह सौ रुपये)** होगा और अर्नेस्ट मनी डिपॉज़िट बिड अमाउंट का **10% होगा, यानी रुपये 1,08,560/- (सिर्फ़ एक लाख आठ हज़ार पाँच सौ साठ रुपये)**. बाद वाली रकम **09-06-2026** को शाम 5 बजे तक बैंक में जमा करनी होगी। जिसकी जानकारी नीचे दी गई है : -

देनदार/गारंटर का नाम	डिमांड नोटिस की तिथि व डिमांड नोटिस के अनुसार बकाया राशि	अचल संपत्ति का विवरण	रिज़र्व मूल्य	बयाना जमा राशि (ईएमडी)
1. श्री दारा सिंह S/o श्री लक्ष्मीनारायण (उधारकर्ता) R/o विलेज भूखी इतावरपुर, तहसील तराना, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश, 456661, **2. श्रीमती पूजा W/o श्री दारा सिंह (सह-उधारकर्ता)** R/o विलेज भूखी इतावरपुर, तहसील तराना, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश, 456661, **3. श्री लक्ष्मी नारायण S/o श्री दयाराम (सह-उधारकर्ता/बंधकर्ता)** R/o विलेज भूखी इतावरपुर, तहसील तराना, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश, 456661, **4. श्रीमती नर्मदा बाई W/o श्री लक्ष्मी नारायण (सह-उधारकर्ता/बंधकर्ता)** R/o विलेज भूखी इतावरपुर, तहसील तराना, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश, 456661 **(लोन अकाउंट नंबर 103041544591**	**15-09-2025 रु. 4,50,000/-** (रुपये चार लाख पचास हज़ार मात्र)	अचल प्रॉपर्टी के सभी हिस्से जिनका पता है: रेजिडेंशियल प्लॉट, जिसका एरिया 1076 वर्गफीट यानी 100 वर्गमीटर है. जिसका सर्वे नंबर 132/2/2 (S) P. हल्का नंबर 47 (नया 137) गाँव भूखी इतवारपुर, तहसील तराना, ज़िला उज्जैन, मध्य प्रदेश है. रेवेन्यू रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड सीरियल नंबर MP432022024A1871221, तारीख 08-07-2024 प्रॉपर्टी श्री लक्ष्मी नारायण आ. श्री दयाराम के नाम पर रजिस्टर्ड है और श्रीमती नर्मदा बाई पत्नी मिस्टर लक्ष्मी नारायण.	**रुपए 10,85,600/-** (रुपये दस लाख पिच्यासी हजार छह सौ मात्र)	रिजर्व प्राइस का 10% रुपए 1,08,560/- (रुपये एक लाख आठ हज़ार पांच सौ साठ मात्र)

अचल संपत्तियों के निरीक्षण की तिथि- 8 जून 2026..... सुबह 11.00 बजे से 3.00 बजे
नीलामी बोली खोलने की तिथि और समय- 10 जून 2026 को सुबह 1100 बजे से 1200 बजे तक.
ऑफर्स /ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि- 9 जून 2026 शाम 5.00 बजे तक

बिक्री की विस्तृत शर्तों और नियमों के लिए, कृपया शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक, सुरक्षित ऋणदाता की वेबसाइट https://shivalikbank.com/auction_of_bank_properties.php पर दिए गए लिंक को देखें.

बिक्री की महत्वपूर्ण शर्तें और नियम :-

(1) संपत्ति को 'जहां है, जैसी है, वहीं है और बिना किसी सहारे के आधार पर बेचा जा रहा है, क्योंकि बिक्री बिना किसी वारंटी और क्षतिपूर्ति के है.
(2) संपत्ति/दस्तावेजों का निरीक्षण बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के साथ उपरोक्त दी गई तिथि और समय पर किया जा सकता है.
(3) बिक्री के सभी सामान्य नियमों और शर्तों वाले बोली दस्तावेज/फॉर्म को बैंक के ऊपर उल्लिखित शाखा कार्यालय में कार्यालय समय के दौरान किसी भी कार्य दिवस पर प्राधिकृत अधिकारी से प्राप्त किया जा सकता है. इच्छुक बोलीदाताओं को निर्धारित बोली फॉर्म पर अपनी सीलबंद बोलियां बैंक के प्राधिकृत अधिकारी को भेजनी चाहिए.
बोली को सीलबंद लिफाफे में नीलामी संपत्ति के लिए बोली का उल्लेख करते हुए और मांग के अनुसार ईएमडी (बोली राशि का 10 प्रतिशत) के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए. शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के पक्ष में तैयार ड्रॉफ्ट, नोएडा में 9 जून 2026 को या उससे पहले बैंक के उपरोक्त शाखा कार्यालय में शाम 5.00 बजे तक देय होगा. जो बोलियां नहीं भरी जाएंगी या अंतिम तिथि और समय के बाद प्राप्त होंगी, उन्हें अमान्य माना जाएगा और तदनुसार उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा. ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा. बोलीदाता द्वारा बोली प्रस्तुत करने के बाद, उसे वापस नहीं लिया जा सकता है.
सीलबंद बोलियां 10 जून 2026 को 10:00-12:00 बजे बैंक के उपरोक्त शाखा कार्यालय में उस समय उपस्थित बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोली जाएंगी और उसके बाद पात्र बोलीदाताओं को अधिकृत अधिकारी के विवेक पर प्रस्ताव मूल्य बढ़ाने के लिए परस्पर बोली में भाग लेने का अवसर दिया जा सकता है.
(4) प्रस्तुत की जाने वाली बोली मूल्य आरक्षित मूल्य से अधिक होगी और बोलीदाता 50,000/- रुपये के गुणकों में अपने प्रस्ताव में और सुधार कर सकते हैं. संपत्ति प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जाएगी.
(5) सफल बोलीदाता को बिक्री मूल्य का 25 प्रतिशत (ईएमडी सहित) तत्काल अगले कार्य दिवस से पहले शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के पक्ष में इंदौर/नोएडा में देय डिमांड ड्रॉफ्ट द्वारा जमा करना होगा तथा बिक्री मूल्य की शेष राशि सफल बोलीदाता द्वारा बैंक द्वारा बिक्री की पुष्टि की तिथि से 15 दिनों के भीतर भुगतान की जाएगी. इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा भुगतान की गई ईएमडी तथा बिक्री मूल्य पर कोई ब्याज नहीं लगेगा. यदि सफल बोलीदाता बिक्री की शर्तों का पालन करने में विफल रहता है या कोई चूक करता है, तो ईएमडी या 25 प्रतिशत की जमा राशि, जो भी मामला हो, बैंक द्वारा जब्त कर ली जाएगी.
(6) बैंक प्रस्तावित संपत्ति या किसी अन्य बकाया जैसे बकाया जल/विद्युत बकाया, संपत्ति कर, नगरपालिका/पंचायत कर या अन्य शुल्क यदि कोई हो, के संबंध में किसी प्राधिकरण से या किसी अन्य लागू कानून के तहत कोई अनुमति/एनओसी प्राप्त करने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है.
(7) सफल बोलीदाता को विकास प्राधिकरण के बकाया (यदि कोई हो)/कर/उपयोगिता बिल आदि नगर निगम या किसी अन्य प्राधिकरण/एजेंसी को तथा विक्रय प्रमाण-पत्र के पंजीकरण के लिए स्टाम्प ड्यूटी/पंजीकरण शुल्क आदि के लिए देय शुल्क सहित सभी व्ययों का वहन करना होगा.
(8) प्राधिकृत अधिकारी किसी भी या सभी प्रस्तावों/बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने या बिना कोई कारण बताए बिक्री को स्थगित/रद्द करने या बिना किसी पूर्व सूचना के बिक्री की किसी भी शर्त को संशोधित करने का पूर्ण अधिकार और विवेकाधिकार सुरक्षित रखता है.
(9) एक बार की गई बोलियों को रद्द या वापस नहीं लिया जाएगा.
(10) अपने सर्वोत्तम ज्ञान और जानकारी के अनुसार, बैंक को बैंक को छोड़कर बेची जाने वाली संपत्ति पर किसी भी प्रकार के भार की जानकारी नहीं है. इच्छुक पक्षों को अपनी संतुष्टि के लिए संपत्ति का अपना मूल्यांकन स्वयं करना चाहिए. बैंक किसी भी तरह से उपरोक्त संपत्ति की उपयुक्तता/स्वामित्व के बारे में कोई गारंटी या प्रतिनिधित्व नहीं करता है. किसी अन्य जानकारी के लिए, प्राधिकृत अधिकारी को उक्त संपत्ति के संबंध में सरकार या किसी अन्य को किसी भी शुल्क, ग्रहणाधिकार, ऋणभार, संपत्ति कर या किसी अन्य बकाया के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। उधारकर्ता/बंधक/गारंटर को यह नोटिस दिया जाता है कि वे बिक्री के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहें और वे बिक्री की शर्तों के अनुसार, ऊपर वर्णित अनुसार अचल संपत्ति खरीदने के लिए इच्छुक खरीदारों/खरीदारों को ला सकते हैं.
(11) अचल संपत्ति सबसे अधिक बोली लगाने वाले को बेची जाएगी. हालाँकि, यदि आवश्यक समझा जाता है, तो नीचे हस्ताक्षरकर्ता को परस्पर बोली लगाने की अनुमति देने का पूर्ण विवेकाधिकार है.
(12) बैंक संपत्ति पर किसी भी देनदारी के लिए जिम्मेदार नहीं है, जो बैंक के ज्ञान में नहीं है.
(13) ऋणी/बंधककर्ता/गारंटर को एसएआरएफएईएसआई अधिनियम के नियम 8(6) के अंतर्गत 15 दिन का वैधानिक नोटिस दिया जाता है, जिसे हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा, ताकि वे पूर्ण रूप से दायित्व का निर्वहन करें और इस नोटिस की तारीख से तीस दिनों के भीतर ऊपर बताए गए बकाए के साथ-साथ नवीनतम ब्याज और खर्चों का भुगतान करें, अन्यथा सुरक्षित संपत्ति को ऊपर उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार बेचा जाएगा. यदि अंग्रेजी और हिंदी समाचार पत्र में बिक्री नोटिस के प्रकाशनों में कोई विसंगति है, तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजी समाचार पत्र स्थानीय समाचार पत्र का स्थान लेगा और इसे अंतिम प्रति माना जाएगा, जिससे अस्पष्टता दूर हो जाएगी. यदि ऋणी/गारंटर/बंधककर्ता बिक्री की तारीख से पहले बैंक को देय राशि का पूरा भुगतान करते हैं, तो नीलामी रोक दी जाएगी. हालांकि, ऐसे मामलों में, नोटिस में बकाया राशि पर ऋण दस्तावेजों के अनुसार लागू ब्याज लगाया जाएगा और आकस्मिक व्यय, लागत आदि देय होंगे और इसकी वसूली तक देय होंगे.
(14) प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम बाध्यकारी और निर्विवाद है. बोली प्रस्तुत करने वाले सभी बोलीदाताओं को नीलामी बिक्री की शर्तों को पढ़ने और समझने के लिए माना जाएगा और वे उनसे बंधे होंगे.
(15) विवरण, सहायता, प्रक्रिया और बोली लगाने के लिए संभावित बोलीदाता संपर्क कर सकते हैं- **श्री शुभम शर्मा संपर्क नंबर 8770158132.**
1. कृपया ध्यान दें कि सुरक्षित ऋणदाता, बैंक सभी उधारकर्ता/सह-उधारकर्ताओं/गारंटर/बंधककर्ताओं को उनके पते पर डाक द्वारा बिक्री नोटिस जारी करने जा रहा है. यदि, किसी भी पक्ष को यह प्राप्त नहीं होता है, तो बिक्री नोटिस के इस प्रकाशन को सेवा के प्रतिस्थापित तरीके के रूप में माना जा सकता है.
2. ऋणी/सह-ऋणी/गारंटर/बंधककर्ता को यह भी सूचित किया जाता है कि उन्हें/उन्हें उपरोक्त परिसर के अंदर/बैंक की हिरासत में पड़े अपने घरेलू सामान को, यदि कोई हो, इस प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर पूर्व अनुमति के साथ लेना होगा, अन्यथा बैंक की उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं होगी और वह ऋणी/सह-ऋणी/गारंटर/बंधककर्ता के जोखिम पर उसका निपटान करेगा तथा बिक्री की राशि को बकाया राशि में समायोजित करेगा.
3. यदि किसी भी कारण से नीलामी विफल हो जाती है, तो कंपनी SARFAESI अधिनियम, 2002 के तहत अनिवार्य प्रावधानों के अनुसार निजी संधि के माध्यम से उपरोक्त बंधक संपत्तियों को बेचने के लिए स्वतंत्र होगी.

दिनांक : 22-5-2026, स्थान : नोएडा | **प्राधिकृत अधिकारी, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड**

तीन दिवसीय गंगा अमृत महोत्सव आज से

इंदौर. अन्नपूर्णा क्षेत्र माहेश्वरी महिला संगठन द्वारा गंगा दशहरा के अवसर पर तीन दिवसीय गंगा अमृत महोत्सव का आयोजन 26 से 28 मई तक विट्ठल रुक्मिणी गार्डन पर मनाया जाएगा. अपने तरह के इस अनूठे आयोजन में शोभायात्रा, गंगाजली उत्सव, गंगा आरती एवं दीप दान उत्सव मनाए जाएंगे. संस्था अध्यक्ष पूनम मालपानी, सचिव अर्चना माहेश्वरी एवं पूर्व अध्यक्ष सीमा माहेश्वरी ने बताया कि आयोजन का शुभारंभ 26 मई को प्रातः 7 बजे भव्य शोभायात्रा से होगा. आयोजन बाबूजी रामस्वरूप-सावित्रीदेवी धूत की स्मृति को समर्पित रहेगा. आयोजन के मुख्य यजमान केदारमल राजकांता जाखेटिया, राजकुमार कनकलता साबू, पद्मावती मंडल, गोपालदास माहेश्वरी, राजेश शर्मा होंगे. सभी आयोजन युवराज स्वामी यतीन्द्राचार्य महाराज के सानिध्य में संपन्न होंगे. कार्यक्रम संयोजिका अलका माहेश्वरी, अर्चना गांधी, सारिका काबरा, सोनाली मानधन्या ने बताया कि उज्जैन शिप्रा आरती के प्रशिक्षित पुजारियों की टीम द्वारा बनारस की दिव्य गंगा आरती सायं 6.30 बजे संपन्न होगी. इसके लिए गंगौत्री से पवित्र गंगा जल बुलवाया गया है.

आर्डर पर गाड़ी चुराने वाला चोर गिरफ्तार

इंदौर. बाणगंगा थाना क्षेत्र में पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनके पास से चोरी की करीब एक दर्जन बुलेट और बाइक बरामद हुई हैं. इसमें खास बात यह है कि यह गिरोह ग्राहक की पसंद की महंगी गाड़ी चुराकर सप्लाई करता था. पुलिस ने आरोपियों के पास से 4 बुलट सहित एक दर्जन दो पहिया वाहन जब्त किए हैं.

बाणगंगा पुलिस ने सोमवार को शिवेंद्र, वीरेंद्र और पंकज नाम के तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है. टीआई सियाराम गुर्जर की टीम ने आरोपियों के पास से चार बुलेट सहित एक दर्जन बाइक बरामद की हैं. पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि वे महंगी बुलेट चोरी कर ऑर्डर पर सप्लाई करते थे. आरोपी सुनसान इलाकों से गाड़ियां चुराते थे और शौक-मौज के साथ-साथ कमाई के लिए वारदात को अंजाम देते थे. इस मामले में साहिल नाम के एक अन्य युवक का नाम भी सामने आया था, जिसे पूछताछ के बाद फिलहाल छोड़ दिया है. पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है.

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय- 501, सालकॉन ऑरम, जसोला जिला केंद्र, नई दिल्ली-110025
CIN: U65900DL2020PLC366027

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग नोटिस

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ताओं, जिन्होंने शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड से ऋण सुविधाएं प्राप्त की हैं, जिसका मुख्य कार्यालय तीसरी मंजिल, एड इंडिया टॉवर, सेक्टर 125, नोएडा - 201303 में है, वे शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्रति अपनी ऋण सुविधाओं के ब्याज का भुगतान करने में विफल रहे हैं और उनके ऋण खातों को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए (NPA - गैर-निष्पादित परिसंपत्ति) के रूप में वर्गीकृत किया गया है. उधारकर्ताओं ने शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को अचल संपत्तियों की सुरक्षा (सिक्योरिटी) प्रदान की है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है. ऋण का विवरण और उधारकर्ताओं द्वारा शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को देय और बकाया राशि आज की तारीख के अनुसार नीचे उल्लिखित है. उधारकर्ता/सह-उधारकर्ताओं के साथ-साथ आम जनता को भी सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी, जो शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (सुरक्षित लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी हैं, ने प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. यदि निम्नलिखित उधारकर्ता इस नोटिस के 60 (साठ) दिनों के भीतर अपने नामों के सामने दर्शाए गए बकाया देय राशि का भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो अधोहस्ताक्षरी सरफेसी अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (2) के तहत सुरक्षित लेनदार को प्रदत्त एक या अधिक शक्तियों का प्रयोग करेंगे, जिसमें संपत्तियों का कब्जा लेने और उन्हें बेचने की शक्ति शामिल है. आम जनता को सलाह दी जाती है कि वे नीचे वर्णित संपत्ति के साथ कोई लेन-देन न करे.

देनदार/गारंटर और बंधक का नाम	सुरक्षित संपत्तियों/संपत्ति का विवरण
1. श्रीमती अंबीबाई कटारिया पत्नी श्री मंगतराम कटारिया (उधारकर्ता/बंधककर्ता) 38-बी, प्रेम नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश, 452001, यहां भी: 38-ए, पार्श्वनाथ नगर, आरटीओ रोड, इंदौर सुदामा नगर, मध्य प्रदेश, 452009, **2. श्री मंगत राम कटारिया पुत्र श्री गोबिंद राम कटारिया (सह-उधारकर्ता)** 38-ए, पार्श्वनाथ नगर, आरटीओ रोड, इंदौर सुदामा नगर, मध्य प्रदेश, 452009, **3. श्री कैलाश कुमार कटारिया पुत्र श्री मंगतराम कटारिया (सह-उधारकर्ता)** 38-ए, पार्श्वनाथ नगर, आरटीओ रोड, इंदौर सुदामा नगर, मध्य प्रदेश, 452009, **4. श्री विजय कुमार कटारिया पुत्र श्री मंगतराम कटारिया (सह-उधारकर्ता)** 38-ए, पार्श्वनाथ नगर, आरटीओ रोड, इंदौर सुदामा नगर, मध्य प्रदेश, 452009, **5. श्रीमती राखी कटारिया पत्नी श्री विजय कटारिया (सह-उधारकर्ता)** 38-ए, पार्श्वनाथ नगर, आरटीओ रोड, इंदौर सुदामा नगर, मध्य प्रदेश, 452009, **6. श्रीमती आरती कटारिया पत्नी श्री कैलाश कुमार कटारिया (गारंटर)** 38-ए, पार्श्वनाथ नगर, आरटीओ रोड, इंदौर सुदामा नगर, मध्य प्रदेश, 452009 **ऋण खाता संख्या, मांग नोटिस तिथि और राशि** **ऋण खाता संख्या:** 101041510083 **मांग सूचना तिथि:** 26-05-2026 **बकाया राशि:** रु. 25-05-2026 तक 73,50,000/- (रुपए तिहत्तर लाख पचास हज़ार मात्र) **एनपीए तिथि- 8-5-2026**	**1. प्रॉपर्टी पर इक्विटेबल मॉर्गेज:** नॉन-सेल्फ ऑक्यूपाइड कमर्शियल प्रॉपर्टी जिसका एरिया 565 वर्गफीट, 52.50 वर्गमीटर है, अपार्टमेंट नंबर 02, मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग 'शिवम' का ग्राउंड फ्लोर, प्लॉट नंबर 05, विजय नगर, केसरबाग रोड, इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित है. सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड सीरियल नंबर MP179092016A1232708, तारीख 22-04-2016. अंबीबाई कटारिया पत्नी श्री मंगतराम कटारिया के नाम पर. **चारों तरफ़: पूरब:** केसरबाग रोड, **पश्चिम:** अपार्टमेंट नंबर G-1, **उत्तर:** कॉमन पैसेज और प्लॉट नंबर 06, **दक्षिण:** दुकान नंबर 01. **2. प्रॉपर्टी पर इक्विटेबल मॉर्गेज:** नॉन-सेल्फ ऑक्यूपाइड कमर्शियल प्रॉपर्टी जिसका एरिया 565 वर्गफीट, 52.50 वर्गमीटर है, अपार्टमेंट नंबर 01, मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग 'शिवम' के ग्राउंड फ्लोर पर, प्लॉट नंबर 05, विजय नगर, केसरबाग रोड, इंदौर मध्य प्रदेश में है. सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड सीरियल नंबर MP179092016A1232668, तारीख 22-04-2016. अंबीबाई कटारिया पत्नी श्री मंगतराम कटारिया के नाम पर. **चारों तरफ़: पूरब:** केसरबाग रोड, **पश्चिम:** अपार्टमेंट नंबर G-1, **उत्तर:** दुकान नंबर 02, **दक्षिण:** प्लॉट नंबर 04. **3. प्रॉपर्टी पर इक्विटेबल मॉर्गेज:** नॉन-सेल्फ ऑक्यूपाइड कमर्शियल प्रॉपर्टी जिसका एरिया 1122 वर्गफीट, 104.27 वर्गमीटर है, फ्लैट नंबर G-1, मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग 'शिवम' का ग्राउंड फ्लोर, प्लॉट नंबर 05 पर है, विजय नगर, केसरबाग रोड, इंदौर मध्य प्रदेश. सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड सीरियल नंबर MP179092016A1216162, तारीख 07-04-2016. अंबीबाई कटारिया पत्नी श्री मंगतराम कटारिया के नाम पर. **घिरा हुआ: पूरब:** उसी बिल्डिंग की दुकान, **पश्चिम:** प्लॉट नंबर 40, **उत्तर:** प्लॉट नंबर 06, **दक्षिण:** प्लॉट नंबर 04.
1. मेसर्स चावड़ा कटपीस सेंटर (उधारकर्ता) (मालिक श्री मदन लाल चावड़ा पुत्र श्री बापू लाल चावड़ा) 60, मोदी मार्केट, नॉवेल्टी स्क्वायर, एम.जी रोड, देवास, मध्य प्रदेश, 455001, **2. श्री मदन लाल चावड़ा पुत्र श्री बापू लाल चावड़ा (उधारकर्ता/ बंधककर्ता)** मकान नं. 219, वार्ड नं. 22, दर्जी धर्मशाला के पास मोती बंगला, देवास, मध्य प्रदेश, 455001, **3. श्रीमती नेहा चावड़ा पत्नी श्री संदीप चावड़ा (गारंटर)** मकान नं. 219, वार्ड नं. 22, दर्जी धर्मशाला के पास मोती बंगला, देवास, मध्य प्रदेश, 455001, **4. श्री संदीप चावड़ा पुत्र श्री मदन लाल चावड़ा (गारंटर)** मकान नं. वार्ड नंबर 22, दर्जी धर्मशाला के पास मोती बंगला, देवास, मध्य प्रदेश, 455001 **ऋण खाता संख्या, मांग नोटिस तिथि और राशि** **लोन अकाउंट नंबर:** 102946510326 **डिमांड नोटिस की तारीख:** 26-05-2026 **बकाया रकम:** 25-05-2026 तक रुपये 8,25,000/- (रुपये आठ लाख पच्चीस हज़ार मात्र) **एनपीए तिथि- 2-5-2026**	**हाइपोथेकेशन: स्टॉक और बुक डेब्ट प्रॉपर्टी पर इक्विटेबल मॉर्गेज:** सेल्फ-ऑक्यूपाइड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जिसका एरिया 1200 वर्गफीट, 111.52 वर्गमीटर, प्लॉट नंबर 171 के नॉर्थ पार्ट में, सर्वे नंबर 336, सदाशिव नगर, शीट नंबर 6 और 53, शीट नंबर 4, मोती बंगलो, देवास, मध्य प्रदेश में है, सब-रजिस्ट्रार ऑफिस बुक नंबर 1, जिल्द नंबर 4484, पेज नंबर 86-90, सीरियल नंबर 3716 में रजिस्टर्ड, तारीख 22-03-2000. श्री मदन लाल चावड़ा के नाम पर, श्री बापू लाल चावड़ा के बेटे. **इससे घिरा: पूरब:** रोड, **पश्चिम:** स्ट्रीट, **नॉर्थ:** प्लॉट नंबर 170, **दक्षिण:** प्लॉट नंबर 176

दिनांक 26-5-2026, स्थान : नोएडा | **प्राधिकृत अधिकारी, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड**